केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/50496

दिनांक 13.07.2018

सेवा में,

श्री हरपाल सिंह राणा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 11.07.2018 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1, 4 एवं 5	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क एवं शुल्क लेने के प्रकार का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सूचना आयोग केवल सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है ।
बिंदु सं. 2 एवं 3	वांछित सूचना से संबंधित केन्द्रीय सूचना आयोग में कोई रिकार्ड उपलबध नहीं है ।
बिंदु सं. 6, 7 एवं 8	कोई सूचना नहीं मांगी गई है ।

आपके आवेदन से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आपका आवेदन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी अग्रसारित किया जाता है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कुमार शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690

1	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001.		आरआ.टी.ई. आवेदन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अग्रसारित किया जाता है । कृपया वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर आवेदक को सीधे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।